प0सं0–14 / डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–प0 चम्पारण–180 / 2013–......2766 / रा0, पटना–15 दिनांक–04/12/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
अधिसूचना

पटना, दिनांक– ......................

स0डी0 एल0 ए0 प0 चम्पा0 .........................रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–सौराहा, परगना– मझौवा, थाना–बगहा, जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात– ग्राम सौराहा में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– सौराहा नं0 95 के भीतर कमोवश 0 बीघा 2 कट्ठा 18 धुर जो मानक माप से 0.04860 एकड़ के बराबर होता है एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या– 355, 354, 346, 358, 353 एवं 352 है, तथा इस भू खण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– अंश खेसरा संख्या– 352, 354 एवं 346।
दक्षिण :– अंश खेसरा संख्या– 358, 353 एवं 352।
पूरब :– अंश खेसरा संख्या– 346, 352।
पश्चिम :– अंश खेसरा संख्या– 355 एवं 358।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1–1894 की धारा 4 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

विहार सरकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचल अधिकारी, बगहा– 2 एवं उनके स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा (2) में यथाउपबन्धित या यथाविनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूकि विहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 0.04860 एकड़ है तथा उसका तुरत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक – 2766 / डी0एल0ए0 प0 चम्पा0, पटना, दिनांक – 04/12/2013

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव